मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः–डीजी–सात–162–2008(1) दिनांकः जनवरी 10 2017

सेवा में,

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त सेनानायक, पीएसी/आईआरबी/एसडीआरएफ/ए0टी0सी0 उत्तराखण्ड।
5. पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून/हल्द्वानी।
6. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सेक्टर, देहरादून/हल्द्वानी।
7. पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय, अभिसूचना, देहरादून/हल्द्वानी।
8. राज्य रेडियो अधिकारी, पुलिस दूरसंचार, उत्तराखण्ड।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 10–1–2017 पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत पुलिस स्थापना समिति की बैठक में मृतक आश्रितों के सेवायोजन हेतु पूर्व में जारी नीति निर्देशों को संशोधित करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

1. उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में पीएसी/आईआरबी संवर्ग के कार्मिक, जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, के आश्रितों को पीएसी/ आईआरबी में आरक्षी के पद पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर नियमानुसार आरक्षी पीएसी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा तथा आरक्षी के पद पर भर्ती हेतु अर्हता पूर्ण न होने पर पीएसी/आईआरबी में ही चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

2. जनपदीय पुलिस/अभिसूचना/लिपिकीय संवर्ग के कार्मिक, जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, के आश्रितों को जनपदीय पुलिस में आरक्षी के पद पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर नियमानुसार सेवायोजन प्रदान किया जायेगा तथा आरक्षी के पद पर भर्ती हेतु अर्हता पूर्ण न होने की दशा में जनपद में ही चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

3. पुलिस संचार विभाग में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को जनपदीय पुलिस में आरक्षी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा तथा आरक्षी के पद पर अर्हता पूर्ण न करने की दशा में पुलिस संचार शाखा में चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

4. फायर सर्विस में सेवाकाल के दौरान मृत कार्मिकों के आश्रितों (पुरूष अभ्यर्थी) को फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु अर्हता पूर्ण करने पर नियमानुसार फायरमैन के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। अर्हता पूर्ण न करने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

<u>शारीरिक योग्यता/स्वस्थ्य परीक्षण</u>

<u>पुरूष अभ्यर्थियों हेतुः–</u>

| जाति | ऊँचाई | सीना | |
|---|---|---|---|
| | | बिना फुलाये | फुलाने पर |
| सामान्य/पि0जाति/ अनु0जाति | 165 से0मी0 | 78.8 से0मी0 | 83.8 से0मी0 |
| अनु0 जनजाति | 157.5 से0मी0 | 76.3से0मी0 | 81.3से0मी0 |
| पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी | 160 से0मी0 | 76.3 से0मी0 | 81-3 से0मी0 |

फायरमैन के पद पर मापः– सीना– बिना फुलाये–32 इंच, फुलाने पर– 34 इंच

Scanned by CamScanner

मृतक आश्रित महिला अभ्यर्थियों को महिला आरक्षी के पद पर भर्ती हेतु ऊँचाई में 02 से0मी0 की छूट प्रदान किये जाने के उपरान्त निर्धारित ऊँचाईः–

| जाति | ऊँचाई | वजन |
|---|---|---|
| सामान्य / पि0जाति / अनु0जाति | 150 से0मी0 | 45 कि0ग्रा0 |
| अनु0 जनजाति | 145.5 से0मी0 | 45 कि0ग्रा0 |
| पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी | 145 से0मी0 | 45 कि0ग्रा0 |

इसके अतिरिक्त उक्त पदों पर भर्ती होने वाले आश्रितों की परीक्षा के रूप में दौड निम्नानुसार करायी जायेगी, जो क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी।

पुरूष अभ्यर्थी हेतु निर्धारित मानक

3 कि0मी0 की दौड – 25 मिनट

महिला अभ्यर्थी हेतु निर्धारित मानक–

1.5 कि0मी0 की दौड – 15 मिनट

5. मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को कान्स0(एम) के पद पर सेवायोजन हेतु विचार किया जा सकता है। कान्स0(एम) / लिपिक के पद की निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर नियमानुसार सेवायोजन प्रदान किया जा सकता है।

मृतक आश्रित के अन्तर्गत कान्स0 (एम) / लिपिक के पद पर सेवायोजन हेतु निम्नवत् अर्हतायें निर्धारित की जाती हैः–

शैक्षिक योग्यताः–

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता प्राप्त
2. सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ज्ञान में एक वर्ष का डिप्लोमा (मृतक आश्रित के अन्तर्गत आवेदन करने से पूर्व का होना चाहिये)
3. कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल होना आवश्यक है।

अन्य अर्हताए

1. न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से कम्प्यूटर हिन्दी टंकण
2. हिन्दी निबन्ध
3. पत्र लेखन

नोटः– अभ्यर्थी की कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा न्यूनतम होना आवश्यक है, जो क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी। परीक्षा हेतु निर्धारित अंको में से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा पुलिस मुख्यालय में वर्ष में 02 बार करायी जायेगी।

स्पष्टीकरण / निर्देशः–

(क) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित प्रकिया के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में किसी भी पद पर भर्ती हेतु केवल दो अवसर प्रदान किये जायेगे। यदि सम्बंधित अभ्यर्थी इस अवसर में सेवायोजन पाने में असफल रहता है, तो उसे उस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हेतु अयोग्य माना जायेगा । कान्स0(एम) / लिपिक के पद पर भर्ती हेतु अर्ह न होने पर, सम्बंधित को आरक्षी के पद पर तथा आरक्षी के पद पर अर्ह न होने की दशा में चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(ख) मृतक आश्रित सेवानियमावली–1974 के नियम–5 (तीन) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार सेवायोजन हेतु 05 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ग) मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवायोजन हेतु प्रचलित प्रकिया में शिथिलीकरण करने के सम्बंध में निर्णय पुलिस स्थापना समिति द्वारा लिया जायेगा।

(घ) समस्त जनपद/वाहिनी एवं शाखा मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रस्ताव निर्धारित 37 बिन्दुओं के आधार पर अपने स्तर पर नियमानुसार तैयार करके परिक्षेत्रीय कार्यालय/अभिसूचना/पीएसी/फायरसर्विस/ सीआईडी/सतर्कता एवं रेडियो मुख्यालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

6– चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजनः–

चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन करने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

अतः पुलिस स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मृतक आश्रितों के सेवायोजनों के प्रकरणों में तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(जी0एस0मर्तोलिया)
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय/कार्मिक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, सतर्कता, उत्तराखण्ड।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, उत्तराखण्ड।
4. पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना/सुरक्षा, उत्तराखण्ड।
5. प्रधानाचार्य, पी0टी0सी0, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, सी0आई0डी0, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner